



भारत सरकार /Government of India

वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles

पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute commissioner

पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक/ Patsan Bhawan, CF Block,

सातवां व आठवां तल, एक्शन एरिया-1 / 7th & 8th Floor, Action Area-1

न्यूटाउन, कोलकाता/ Newtown ,Kolkata – 700156

पटसन(विपणन)/2/2003

दिनांक: 30-03-2026

आदेश

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, मंत्रालय, खाद्य एवं जन वितरण, खाद्य एवं जन वितरण विभाग ने चालू रबी: 2026-27 मौसम के दौरान विभिन्न राज्य सरकार एजेंसियों के लिए अपेक्षित बी-ट विल जूट बैग की लगभग 8.33 लाख गांठें (बेल्स) की कुल मांग का अनुमान लगाया है। परिचालनिक जरूरतों के अनुसार इस अनुमान में परिवर्तन हो सकता है।

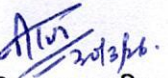
2. इन परिस्थितियों में, मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए तथा पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज कुलहरी, उप पटसन आयुक्त, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि रबी: 2026-27 मौसम हेतु आपको जारी किए जाने वाले उत्पादन नियंत्रण सह-आपूर्ति आदेश में निहित निदेशों के अनुसार 94 cmx57cm के आकार के बी-ट विल जूट बैग की विनिर्दिष्ट मात्रा के विशेष विनिर्माण हेतु आप पूरी स्थापित सैकिंग क्षमता का उपभोग करेंगे तथा उक्त क्षमता का कोई भी भाग किसी भी रूप में उपरिवर्णित गुणवत्ता, जैसा कि उत्पादन नियंत्रण-सह-आपूर्ति आदेश में उल्लिखित है, के बी-ट विल जूट बैग के अलावा किसी अन्य बोरे के उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। पी.सी.एस.ओ. में बी-ट विल जूट बैग हेतु समयानुसार तथा पूरी तरह से आदेश कार्यान्वित करने के बाद ही इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त होने पर अन्य प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु जूट बैग की आपूर्ति के लिए शेष क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। इस आदेश के चालू रहने के दौरान, इस कार्यालय से लिखित अनुमोदन के बिना, किसी भी परिस्थितियों में, कोई भी आपूर्ति प्राइवेट मार्केट (निजी बाजार) को नहीं की जाएगी।

3. यह निदेश जूट वस्तुओं की निर्यात प्रतिबद्धताओं तथा जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के तहत जारी या जारी किए जानेवाले आदेश के अंतर्गत शामिल या शामिल किए जानेवाले किसी अन्य सेक्टर की जरूरतों पर लागू नहीं होगा बशर्ते कि पर्याप्त दस्तावेजों का सत्यापन तथा स्वीकरण किया जाता हो।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा रबी: 2026-27 हेतु जारी उत्पादन नियंत्रण –सह –आपूर्ति आदेश के पूरी तरह कार्यान्वित होने तक लागू रहेगा।

5. सभी प्रकार के करघे/अन्य मशीन, जहां बोरे (सैकिंग) का उत्पादन संभव है, पर यह आदेश लागू होगा और कोई मिल, जो किसी ऐसे करघे में बोरे उत्पादन करते हुए पाए जाते हैं जो सामान्य रूप से बोरे उत्पादन करने के लिए अधिकृत नहीं है तथा पटसन आयुक्त कार्यालय से बाहर बिक्री के लिए है, तो यह इस आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

6. यदि आपकी मिल कंपनी उत्पादन नियंत्रण – सह- आपूर्ति आदेश के विरुद्ध बी-ट विल जूट बैग की आपूर्ति में जान बूझकर चूक करती हुई पायी जाती है तो पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश 2016 के खंड 11 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगे तथा/या पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश 2016 के खंड 8 के अंतर्गत “आपूर्ति ना करने या जूट बैग की आपूर्ति में चूक” जो तथाकथित नियंत्रण आदेश 2016 के अनुसार अनुचित कार्य की परिभाषा में शामिल है, मानकर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।


(नीरज कुलहरी)
उप पटसन आयुक्त

सेवा में,
सभी जूट मिलें



Government of India
Ministry of Textiles
OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER
7th & 8th Floor, Patsan Bhawan, CF Block, Action Area – I
New Town, Kolkata- 700156

ORDER

No. Jute (Mktg) / 2 / 2003

Date: 30-03-2026

Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food and Public Distribution has estimated requirement of different State Government agencies of B.Twill jute bags for a total quantity of around 8.33 lakh bales for the ongoing Rabi:2026-27 season. The estimate is subject to change depending on operational requirements.

2. Under the circumstances and in view of the urgency of the matter and in exercise of the powers conferred by clause 4 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, Neeraj Kulhari, Dy. Jute Commissioner hereby direct that you shall utilize your entire installed sacking capacity for exclusive manufacture of the specified quantities of B.Twill jute bags of size of 94cm X 57cm as per directions contained in Production Control-cum-Supply Orders issued or to be issued to you for Rabi: 2026-27 season and that no part of the aforesaid capacity shall be diverted in any manner for production of sacking other than B.Twill jute bags of the above mentioned quality as directed under Production Control-cum-Supply Order. Only after fully and timely executing the orders for B.Twill jute bags in PCSO, the remaining capacity may be utilized for supply of jute bags to meet other commitments after obtaining permission from this office. No supply to private market shall be effected under any circumstances without written approval of this office, during the currency of this Order.

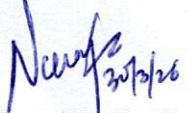
3. This direction shall not be applied to meet export commitments of jute goods and requirement of any other sector covered or to be covered under the Order issued or to be issued under JPM Act, 1987 subject to submission of sufficient documentary evidence and verification and acceptance of such documents by this office.

4. This order shall come into force with immediate effect and shall remain in force till Production Control-cum-Supply Orders meant for the Rabi: 2026-27 are fully executed.

5. All types of looms/other machines, where production of sacking is feasible shall come under the purview of this order and any mill found to be producing sacking in any loom, ordinarily not meant for sacking production, for sale outside the JC office, this shall be deemed to be in violation to this order.

6. If your mill company is found to be in willful default in supply of B.Twill jute bags against the Production Control-cum-Supply Orders, you shall be liable for penal action under Clause 11 of the Jute & Jute Textiles Control Order, 2016 and / or action under clause 8 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 as 'non-supply or default in supply of jute bags' which are included in the definition of 'unfair practices' as per the said Control Order, 2016.

To
All Jute Mills


(Neeraj Kulhari)
Dy. Jute Commissioner